न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 15/2016 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :– बृजलाल पुत्र श्री चेतराम जाति जाट निवासी जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा पुलिस थाना पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

––––– अपीलान्ट

–– बनाम ––

राजस्थान राज्य।

––––– रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री हेमाराम जाखड़ — अभिभाषक अपीलांट

श्री चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 23.1.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 17.03.2016, जिसमें अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 8/2014 डीएम हनुमानगढ को निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के नाम से एक शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 8/14 डीएम हनुमानगढ दिनांक 29.05.15 तक नवीनीकृत था, जिस पर 12 बोर एसबीबीएल गन सं. 3654 दर्ज है। अपीलांट द्वारा अपने लाईसेंस के आगामी वर्षो के लिये नवीनीकरण करवाने का आवेदन पत्र दिये जाने पर जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की रिपोर्ट दिनांक 30.01.2016 में अपीलांट के विरूद्ध मुकदमा नं. 85/2006 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ एक्ट में चालान व फैसला दिनांक 18.03.06 में 300 जुर्माने की सजा तथा मुकदमा नं. 275/2013 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ एक्ट में चालान व फैसला दिनांक 19.06.2013 में 100 जुर्माने की सजा होने तथा अपीलान्ट का शस्त्र

जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की रिपोर्ट दिनांक 30.01.2016 में उल्लेखित मुकदमों एवं को आधार मानते हुए एवं लोक शान्ति एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ ने आदेश दिनांक 17.3.16 द्वारा अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 8/14 डीएम हनुमानगढ निरस्त कर उसमें दर्ज 12 बोर एसबीबीएल गन संख्या 3654 पुलिस थाना में जमा कराने के आदेश दिये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री हेमाराम जाखड़ का मुख्य कथन है कि अपीलार्थी के विरूद्ध जो दो फौजदारी मुकदमें दर्ज होना बताया गया है, उनका निपटारा अपीलार्थी के नाम शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी होने से पूर्व ही हो चुका था। अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र वर्ष 2014 में जारी हुआ है और सन् 2006 व 2013 में दो प्रकरण दर्ज हुए थे जो साधारण प्रकृति के थे तथा उनका निर्णय होने के पश्चात् ही अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी हुआ है। पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.1.16 में भी अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण करने की अनुशंषा की गई है। इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। अपीलांट के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण कहीं पर ना तो दर्ज है और ना ही वर्तमान में विचाराधीन है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त किया है, वह कानून सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमावें।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोग श्री चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की रिपोर्ट दिनांक 30.1.16 में प्रार्थी अपीलान्ट के विरूद्ध दो फौजदारी प्रकरण दर्ज हुए हैं जिसमें उसे अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। व्यापक लोक शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था के मध्यनजर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। प्रकरण में अपीलान्ट के विरूद्ध दो आपराधिक मामले दर्ज हुए जिनमें मु.नं. 85/2006 में धारा 13 आरपीजीओ एक्ट में चालान अदालत में पेश हुआ और दिनांक 18.3.06 को 300/–रू.

जुर्माने की सजा हुई है। विद्वान अभिभाषक अपने अपनी बहस में मुख्य रूप से कहा कि मुकदमें साधारण प्रकृति के हैं, जिनके निर्णय होने के पश्चात् अपीलांट को उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये गये हैं। परन्तु अपीलांट के विरूद्ध दर्ज मुकदमों में हुई सजा के संबंध में कोई अपीलीय न्यायालय में अपील किया जाना और न्यायालय द्वारा निर्दोष घोषित करने से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। प्रकरण में विद्वान राजकीय सहायक लोक अभियोजक के कथनानुसार व्यापक लोक शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था के मध्यनजर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो उचित है। अपीलांट ने वरवक्त बहस अन्य कोई साक्ष्य या सबूत हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिन पर विचार किया जा सके।

7. उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में हम अधिनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जिला कलक्टर, हनुमानगढ के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.03.2016 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

8. तदनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 23.1.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर